

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(ब.घों.)डीएलबी/25/ 4643

दिनांक: 12/03/2025

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपटित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका नवलगढ की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	जिला	नगरपालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत, / राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	झुन्झुनू	नवलगढ	राजस्व ग्राम जोहड़ की ढाणी, ढाणी कांनकावाली एवं ज्योति नगर का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (जनसंख्या-6655)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

4644-4674

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/25/ प्रति लिपिसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक:

12/03/2025

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. सचिव/आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नगर परिषद में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमावली के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।

Digitally signed by Indrajit Singh
Designation : Director
Date: 2025.03.12 09:36:25 IST
Reason: Approved



09. संभागीय आयुक्त, जयपुर ।
10. जिला कलेक्टर झुन्झुनू को भेजकर निवेदन है कि नगरपालिका नवलगढ की सीमा क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाकर पालना सुनिश्चित की जावे एवं विभाग को अवगत कराने का श्रम करावे। संबंधित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड सदस्यों को अधिसूचना से सूचित कराया जावे।
11. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर/पी.आर.ओ. निदेशालय।
12. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
13. वित्तीय सलाहकार/समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग निदेशालय राज. जयपुर।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
15. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, नवलगढ।
16. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. सरपंच/उपसरपंच/सचिव, संबंधित राजस्व ग्राम जोहड़ की ढाणी, ढाणी कानकावाली एवं ज्योति नगर।
18. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Signature valid

Digitally signed by Inderjeet Singh
Designation : Director
Date: 2025.03.12 08:36:25 IST
Reason: Approved